

सहायक क्लर्क (CDO) बायतु
 जज अदालत..... मुकाम.....

किस्म मुकदमा मंगलाराम बनाम राजाराम कोठा
111/128 RLR नं. 182/2022 सन. 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/4/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रघुवाम शास्त्र</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10/5/22</u> को पेश हो।	273 <u>28/4/22</u>
10/05/2022	<p>प्रार्थी व वकील उपरिपत्र/विप्राथीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाफे गये जिनकी डिलेक्ट रसिदें प्रार्थी को प्रेषित की गईं जिसे शामिल पत्रावली विप्रा गणों/विप्राथीगणों के तामील अनु उपरिपत्र/न्यायालय समक्ष तीन बार प्रवाज कराई गईं किन्तु प्रवाज 5.45 pm पर कराई गईं विप्राथीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई कतिपय उपरिपत्र नहीं देना लिहाजा विप्राथीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही समल में लाई जाती है।</p> <p>तब, पत्रावली बहाल पत्रावली दिनांक 01/06/2022 को पेश की गयी।</p>	सहायक क्लर्क (CDO) बायतु जिला - बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड
क्रमांक वाद / 2022
प्राथी

मांगकर्ता का
जाति का
पत्रावली

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण बायजुद
तामिल अनुपस्थित/ प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं
विप्राथीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी
एवं विप्राथीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है
जिससे प्राथी एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी
करवानी आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्राथी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 554-858

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मंगलाराम पुत्र अणदाराम,
जाति जाट, निवासी सखरोडा,
पटवार मण्डल चौखला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. तगाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 10,
जाति जाट, निवासी सखरोडा,
पटवार मण्डल चौखला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 182 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - सखरोडा, पटवार मण्डल - चौखला तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 155/62, 156/62 रकबा क्रमशः 2.1277, 6.3749 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 554-858

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मंगलाराम पुत्र अणदाराम,
4. विप्रार्थी श्री तगाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 10,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड न्यायालय बायतु
जिला बाड़मेर